/1

बिहार सरकार,
कृषि विभाग

पत्रांक– पी0पी0एम0–19/2016 2389 /कृ0, पटना दिनांक 12/6/ 2017

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
बीरचन्द पटेल पंथ, पटना।

अनौपचारिक रूप
से परामर्शित #द्वारा – वित्त विभाग।

विषय – **किसान सलाहकार योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 में 6424.88149 लाख (चौसठ करोड़ चौबीस लाख अठासी हजार एक सौ उनचास) रूपये व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : **स्वीकृत।**

किसान सलाहकार योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 में 6424.88149 लाख (चौसठ करोड़ चौबीस लाख अठासी हजार एक सौ उनचास) रू० व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस योजना का उद्देश्य पंचायत स्तर पर प्रगतिशील कृषक को प्रसार तंत्र के साथ मिलकर काम करने हेतु प्रेरित करना है। इससे निम्न लाभ होगा :–

(1) कृषि तकनीकी का त्वरित विस्तार।

(2) कृषि प्रसार तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए कृषि में प्रशिक्षण उपरांत मानव संसाधन का उपयोग।

(3) कृषि ज्ञान आधारित रोजगार का सृजन।

3. योजना राज्य के सभी 38 जिलों के सभी पंचायत में कार्यान्वित की जा रही है। राज्य में किसान सलाहकारों का स्वीकृत बल 8463 है। स्वीकृत बल के विरूद्ध वर्तमान में कुल 6480 किसान सलाहकार कार्यरत है। कार्यरत बल के अनुरूप आवश्यक राशि की सूची अनुलग्नक–01 में संलग्न है। इस योजना के कार्यान्वयन की समय–सीमा वर्ष 2017–18 है।

4. किसान सलाहकार योजना की प्रथम स्वीकृति वर्ष 2009–10 में दी गयी थी। योजना स्वीकृति के आलोक में प्रत्येक पंचायत में एक किसान सलाहकार केन्द्र चलाने के लिए किसान सलाहकार का चयन करने हेतु एक राज्य स्तरीय विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। आवेदकों से आवेदन जिला स्तर पर लिये गये तथा जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के माध्यम से चयन की प्रक्रिया पूरी की गयी। कुल 8463 लक्ष्य के विरूद्ध अद्यतन 6480 किसान सलाहकार कार्यरत हैं।

5. किसान सलाहकार को वर्ष 2009–10 में 2500 रू० प्रतिमाह निश्चित मानदेय निर्धारित किया गया था। दिनांक: 01.04.2012 को इसे बढ़ाकर 5000 रू० प्रतिमाह, दिनांक 01.04.2014 से 6000 रू० प्रतिमाह 01.08.2015 से 6000 रू० से बढ़ाकर 8000 रू० प्रतिमाह किया गया।

6. किसान सलाहकार सेवा अवधि के दौरान मृत्यु होने पर 4.00 (चार लाख) रू० का अनुग्रह अनुदान दिया जायेगा। इसके लिए सरकार द्वारा विहित प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

7. कार्यरत संख्या बल 6480 के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 में 6220.80 लाख रू० एवं वर्ष 2016–17 का बकाया राशि 130.12149 लाख रू० एवं किसान सलाहकार योजना अन्तर्गत आकस्मिकता पर 13.96 लाख रू० व्यय होने की सम्भावना है। मृत्यु अनुग्रह अनुदान पर राशि 60.00 लाख रू० रखी गयी है। इस प्रकार कुल राशि 6424.88149 लाख (चौसठ करोड़ चौबीस लाख अठासी हजार एक सौ उनचास) रू० व्यय होने का अनुमान है।

8. प्रस्तावित योजना के लिए 6424.88149 लाख (चौसठ करोड़ चौबीस लाख अठासी हजार एक सौ उनचास) रू० व्यय की संभावना है।

E:\ABHINAV\2017-18\Kisan Salahkar yojna 2017-18\K..S. sanlenkh & Cheek list.docx (1)

9. किसान सलाहकार के द्वारा कृषि प्रसार से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। धान एवं गेहूँ की श्री विधि जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में इनकी भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण रही है। किसान सलाहकार केन्द्रों के संचालन के लिए वर्तमान में चुने गये किसान सलाहकारों के कार्यों की समीक्षा जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा की जायेगी एवं तद्नुसार उनके चयन की अवधि विस्तारित की जायेगी।

10. योजना कार्यान्वयन में समय–समय पर आवश्यकता होने पर कृषि विभाग द्वारा आवश्यक परिवर्तन किया जा सकेगा।

11. वितीय वर्ष 2017–18 की बजट शीर्ष एवं उपबंधित राशि से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है:–

(राशि लाख रूपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	प्रस्तावित राशि
मुख्य शीर्ष 2401, फसल कृषि कर्म, उप मुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 109–विस्तार तथा किसानों का प्रशिक्षण, उप शीर्ष 0106– इनटेनसिफायड फिल्ड डेवलपमेन्ट एण्ड ट्रेनिंग सर्पोट नई योजना, विपत्र कोड–01-2401001090106, विषय शीर्ष 0106.28.04 व्यवसायिक / कला / तकनीकी सेवायें	5727.00	5483.11907
मुख्य शीर्ष 2401, फसल कृषि कर्म, उप मुख्य शीर्ष 00 लघु शीर्ष 789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष 0106– इनटेनसिफाइड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सर्पोट नई योजना, विपत्र कोड 01-2401007890106,विषय शीर्ष 0106.28.04 व्यवसायिक / कला / तकनीकी सेवायें	1168.00	926.79242
मुख्य शीर्ष 2401, फसल कृषि कर्म, उप मुख्य शीर्ष 00 लघु शीर्ष 796– जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उप शीर्ष 0134– इनटेनसिफाइड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सर्पोट नई योजना, विपत्र कोड 01-2401007960134, विषय शीर्ष 0134.28.04 व्यवसायिक / कला / तकनीकी सेवायें	90.00	14.97000
कुल	6985.00	6424.88149

12. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संरव्या 602 दिनांक 20.3.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या–96 वि0 (2) दिनांक 03.01.08 एवं 2199 दिनांक 24.03.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दिनाक 31.05.2017 की बैठक में स्वीकृति संचिका संख्या– पी०पी०एम०–19 / 2016 के पृ0सं0–51 / टि० पर प्राप्त है। योजना कार्यान्वयन में मंत्री, कृषि का दिनांक– 08.05.2017 को स्वीकृति संचिका संख्या– पी०पी०एम०–19 / 2016 के पृ0सं0– 45 / टि० पर प्राप्त है।

13. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

14. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– पी०पी०एम०–19 / 2016 के पृ0सं0– 53 / टि. पर दिनांक– 08.06.2017 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

10.6.2017

(सुधीर कुमार)
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – पी0पी0एम0–19 / 2016 2389 / कृ0, पटना, दिनांक 12/6/, 2017

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.6.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – पी0पी0एम0–19/2016 2389 /कृ0, पटना, दिनांक 12/6/, 2017

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.6.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – पी0पी0एम0–19/2016 2389 /कृ0, पटना, दिनांक 12/6/, 2017

प्रतिलिपिः– सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.6.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – पी0पी0एम0–19/2016 2389 /कृ0, पटना, दिनांक 12/6/, 2017

प्रतिलिपिः– सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.6.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – पी0पी0एम0–19/2016 2389 /कृ0, पटना, दिनांक 12/6/, 2017

प्रतिलिपि– कृषि मंत्री के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/अपर कृषि निदेशक, प्रसार, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, पी0पी0एम0, कृषि विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक/संबंधित उप कृषि निदेशक/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/सभी जिला प्रक्षेत्र प्रबंधक/सभी उप कृषि निदेशक, प्रक्षेत्र/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु तथा उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना को विभाग के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

10.6.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।